गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. 9001 : 2015 एवं I.S.O. 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्रांक: 4342/मा0प्लान अनु0/22 **दिनांक: 05.04.2022**

"सार्वजनिक सूचना"

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नक्षत्र इन्फ्राटैक एल.एल.पी. द्वारा खसरा सं0 490, 491, 494, 495, 496 व 497 क्षेत्रफल 8560.00 वर्ग मी0 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु ऑन लाईन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा सं0 497 को छोड़कर अन्य खसरा नम्बरान का भू–उपयोग 45 मी0 चौड़े मास्टर प्लान मार्ग का मार्गधिकार छोड़ने के उपरान्त शेष भाग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। खसरा सं0 497 का भू–उपयोग 45 मी0 चौड़े मास्टर प्लान मार्ग का मार्गधिकार छोड़ने के उपरान्त आंशिक भाग जोनल लेवल पार्क तथा शेष भाग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 1120/8-23-16-28 विविध/16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29.12.2016 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल क्रिया अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन–सामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्रविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 01 माह के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई–मेल: **helplinegda@gmail.com** f: **@gdagzb**, t : **@gdagzb**

हेल्पलाइन नं0: **0120-6110433**, व्हाट्सएप : **9990988004**, वेबसाइट: **www.gdaghaziabad.in**

एक सुन्दर शहर – हमारा संकल्प

Size: 8x10 cms